

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 14, 2004/पौष 24, 1925

No. 16]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 14, 2004/PAUSA 24, 1925

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2004

आरबीई सं. 14/2004

सा.का.नि. 42(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्वारा रेलवे सेवा संशोधित वेतन) संशोधन नियम, 2003 सा.का.नि. सं. 357(अ) दिनांक 25-4-2003 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

2. रेलवे सेवा (संशोधित वेतन) संशोधन नियम, 2003, सा.का.नि. सं. 357(अ) दिनांक 25-4-2003 के व्याख्यात्मक ज्ञापन के बाद निम्नलिखित को शामिल किया जाए।

“पाद टिप्पणी :

- (i) मूल रेलवे सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1997, सा.का.नि. सं. 584(अ) दिनांक 8-10-1997 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।
- (ii) रेलवे सेवा (संशोधित वेतन) संशोधन नियम, 1997, सा.का.नि. सं. 69(अ) दिनांक 5-2-1998 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।
- (iii) रेलवे सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1997 के लिए शुद्धि पत्र, सा.का.नि. सं. 72(अ) दिनांक 9-2-1998 द्वारा प्रकाशित किया गया था।
- (iv) रेलवे सेवा (संशोधित वेतन) संशोधन नियम, 2001 सा.का.नि. सं. 54(अ) दिनांक 24-1-2001 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।
- (v) रेलवे सेवा (संशोधित वेतन) संशोधन नियम, 2002 सा.का.नि. सं. 433(अ) दिनांक 18-6-2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।”

[सं. पीसी-V/97/1/ईसी/1(ग्रेड 'ख')]

वी.एन. माथुर, सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 13th January, 2004

RBE No. 14/2004

G.S.R. 42(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso of Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Amendments to the Railway Services (Revised Pay) Amendment Rules, 2003 G.S.R. No. 357(E) dated 25-4-2003, namely :—

2. The following may be inserted after the Explanatory Memorandum of the Railway Services (Revised Pay) Amendment Rules, 2003, G.S.R. No. 357(E), dated 25-4-2003.

## “Foot Note :

- (i) Original Railway Services (Revised Pay) Rules, 1997 vide G.S.R. No. 584(E) dated 8-10-1997.
- (ii) Railway Services (Revised Pay) Amendment Rules, 1997 vide G.S.R. No. 69(E) dated 5-2-1998.
- (iii) Corrigendum to Railway Services (Revised Pay) Rules, 1997 vide G.S.R. No. 72(E) dated 9-2-1998.
- (iv) Railway Services (Revised Pay) Amendment Rules, 2001 vide G.S.R. No. 54(E) dated 24-1-2001.
- (v) Railway Services (Revised Pay) Amendment Rules, 2002 vide G.S.R. No. 433(E) dated 18-6-2002.”

[No. PC-V/97/IEC/1(Gr. 'B')]

V. N. MATHUR, Secy.